परिपत्र संख्या– 03 /सामा–1(7)/बंदी उपचार/2019

प्रेषक,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनाँक 30 जनवरी, 2019

विषय प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बंदियों का उपचार कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बीमार बंदियों को प्रदेश में उपलब्ध चिकित्सीय संस्थाओं के अतिरिक्त प्रदेश के बाहर स्थित राजकीय चिकित्सीय संस्थानों में उपचार हेतु समय–समय पर संदर्भित किया जाता है। प्रायः यह देखने में पाया गया है कि कतिपय कारागारों द्वारा एक ही बीमारी के उपचार में बार–बार अनुमति लिये जाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। एक ही बीमारी में बार–बार अनुमति लिये जाने की प्रक्रिया अपनाये जाने के कारण अनावश्यक धन एवं समय की बर्बादी होती है तथा कार्य का बोझ निरर्थक रूप से बढ़ता है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि किसी एक बीमारी में एक बार अनुमति मिलने के पश्चात बीमार बंदियों का उपचार कराया जाना सुनिश्चित् करें। यदि बंदी को किसी अन्य बीमारी के उपचार हेतु वाह्य चिकित्सालयों में भेजा जाना है तो जेल नियमावली के प्रस्तर 1058 के प्राविधानों के अनुसार नवीन अनुमति लिये जाने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित् की जाए। उक्त निर्देशों के अनुसार समस्त उप महानिरीक्षक कारागार अपनी परिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कारागारों में निरूद्ध बीमार बंदियों के प्रकरणों पर तत्परता एवं प्रभावी कार्यवाही समयान्तर्गत करना सुनिश्चित् करें।

30/1/19
(चन्द्र प्रकाश)
अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।